



न्यायालय माननीय राजस्व बोर्ड ग्वालियर म.प्र. (75)

केम्प उज्जैन म.प्र.

PBR/किरानी/देवास/भूर/2017/4262

प्र.क्र...../17

- (1) श्रीमती शांताबाई विधवा जगन्नाथ जी जाति ढोली निवासी ग्राम लकूमडी तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
- (2) योगेन्द्र पिता जगन्नाथ जी जाति ढोली निवासी ग्राम लकूमडी तहसील सोनकच्छ जिला देवास
- (3) केदार पिता जगन्नाथ जी जाति ढोली निवासी ग्राम लकूमडी तहसील सोनकच्छ जिला देवास
- (4) भागीरथ पिता मोडुजी जाति ढोली निवासी ग्राम लकूमडी तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
- (5) बाबूलाल पिता मोडुजी जाति ढोली निवासी ग्राम लकूमडी तहसील सोनकच्छ जिला देवास
- (6) हरीसिंह पिता मोडुजी जाति ढोली निवासी ग्राम लकूमडी तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

.....प्रार्थीगण

विरुद्ध

- (1) श्रीमती इंदूबाला पति शंकरलाल गांधी जाति माहेश्वरी निवासी 88/4 वल्लभ नगर इंदौर
- (2) रामप्रसाद पिता मोडुजी निवासी ग्राम खाचरोद तह. आष्टा जिला सिहोर म.प्र. कृषक ग्राम लकूमडी तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

.....प्रतिप्रार्थीगण

पुर्नरीक्षण याचिका आधिन धारा 50 भूर.सं.
विरुद्ध श्रीमान तहसीलदार महोदय, सोनकच्छ
के प्र.क्रं. 46अ6/16-17 में पारित आदेश
दिनांक 23/10/2017

20
श्री किरानी देवास
की.म. उज्जैन म.प्र.
२५/१०/१७
25-10-17

योगेन्द्रराव

२०. श्रीमती देवास




न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक

जिला देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.11.2017	<p>आवेदक गण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-10-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से संहिता की धारा 52 सहपठित धारा 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि आवेदकगण की ओर से व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है, परन्तु स्थगन पेश नहीं किया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । जहाँ तक आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का प्रश्न है उक्त आवेदन पत्र का निराकरण तहसीलदार द्वारा किया जाना आदेश से परिलक्षित नहीं होता है । अतः तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 14 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र का विधिवत् निराकरण करें । निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है ।</p>	




अध्यक्ष